न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 06/2025 तारीख रजू:–13.11.2025

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2025/442

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामनिवास पुत्र माधो
2. पप्पू पुत्र बजरंगा
3. रामेश्वर पुत्र बजरंगा
4. संतरा पुत्र बजरंगा
5. विश्रामी पत्नि स्व0 हेमराज
6. विष्णु पुत्र हेमराज जरिये संरक्षक माता विश्रामी पत्नि स्व हेमराज
7. महेश पुत्र हेमराज जरिये संरक्षक माता विश्रामी पत्नि स्व हेमराज
8. रामबिलास पुत्र श्रीनारायण
9. कैलाश पुत्र श्रीनारायण

समस्त जातियान कुम्हान निवासीयान पार्वतीनगर पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्योजी कल्याण कुम्हार निवासी पार्वती नगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. गीता पुत्री कल्याण पत्नि सीताराम कुम्हार, निवासी रतनपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. बदरी पुत्र चन्द्रा
4. लादू पुत्र चन्द्रा

जातियान कुम्हार, निवासीयान पार्वतीनगर पीपल्या, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

5. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।
6. ग्राम पंचायत महापुरा जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—रेस्पोंडंट्स

उपस्थित::–

वकील अपीलांट्स :– श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2:– अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 व 6:– [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या [illegible]2 दिनांक 05.06.1972 तत्कालीन ग्राम पीपल्या हाल ग्राम पार्वती नगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:–18.02.2026

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ नामान्तरकरण जेरे बहस खिलाफ कानून व खिलाफ रूये दाद मिसल होने की सूरत में काबिले निरस्त है।

Digitally signed by Joginder Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

❖ नामान्तरकरण जेरे बहस करने से पूर्व पटवारी हल्का ने मृतक मांग्या के वारिसान की जांच नहीं की और सरसरी तरीके से ही नामान्तरकरण जेरे बहस सरपंच से तस्दीक करवा लिया इसलिये नामान्तरकरण जेरे बहस निरस्त होने योग्य है।

❖ नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करने से पूर्व सरपंच ने भी मृतक मांग्या के वारिसान की कोई जांच नहीं की न ही कोरम के समक्ष रखा बल्कि अपने स्तर पर ही नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है।

❖ अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 4 का सजरा परिवार निम्नानुसार है–

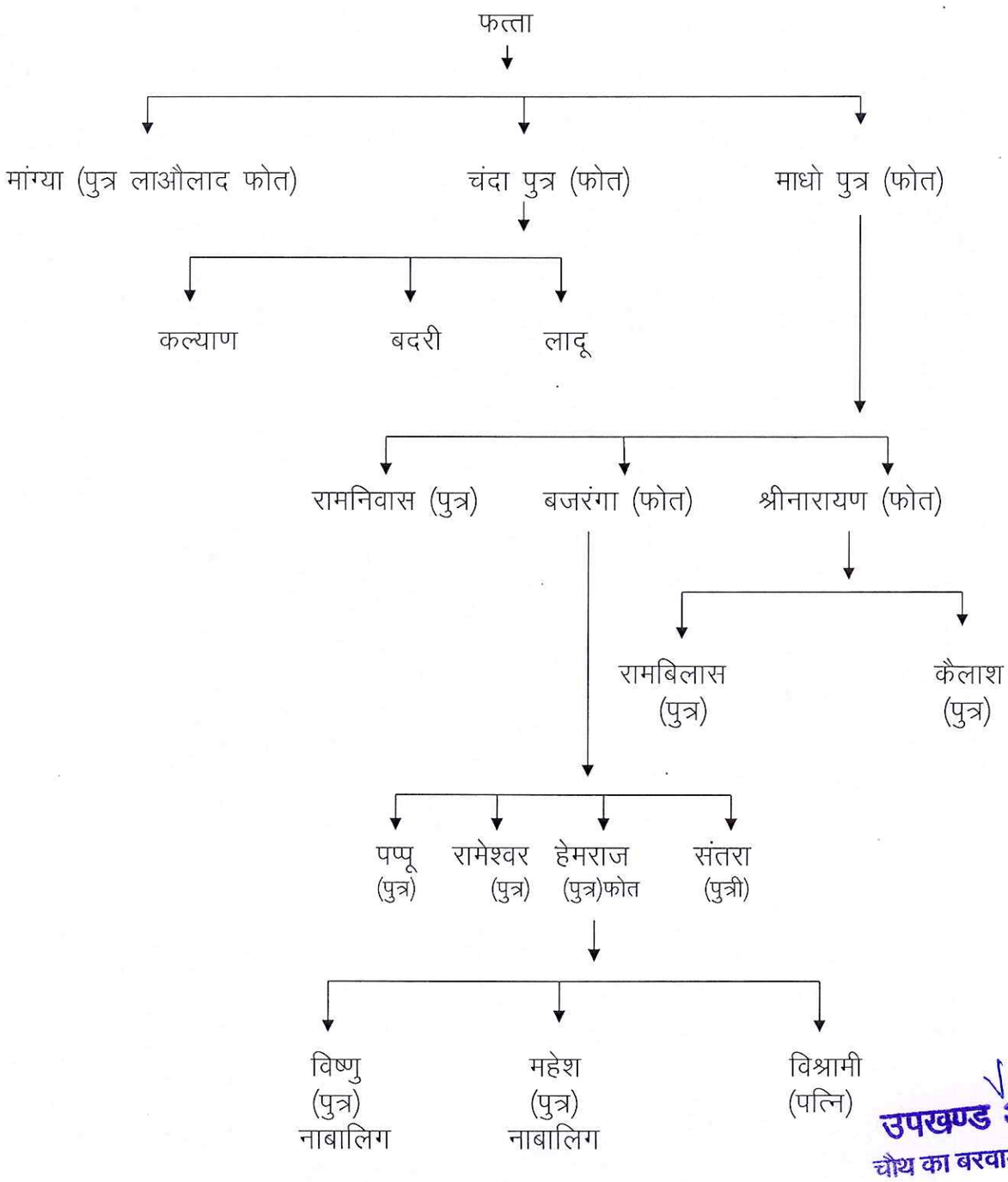

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ फत्ता के पुत्र मांग्या के कोई औलाद नहीं थी और वह लाऔलाद फौत हो गया लेकिन चूंकि उस समय चन्द्रा का पुत्र कल्याण एक चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसने राजस्व कर्मचारियो से साज कर मांग्या के देहान्त होने पर उसने अपने आपको मृतक मांग्या का पुत्र बताकर कल्याण ने अपने हक में हिस्से 1/3 का नामान्तरकरण जेरे बहस ग्राम पंचायत से साज कर तस्दीक करवालिया जबकि मांग्या के देहान्त हो जाने पर उसके कोई वारिसान नही होने से फत्ता के बचे दो पुत्रों कमश चन्द्रा व माधो के नाम हिस्सा 1/2 व 1/2 का नामान्तरकरण तस्दीक होना चाहिए था जो नहीं कर गलत एवं निराधार तरीके से नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करवा लिया जो निरस्त होने योग्य है।

❖ मृतक कल्याण के पिता का नाम मांग्या नहीं होकर उसके पिता का वास्तविक नाम चन्द्रा था जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि दिनांक 21.10.1975 को ग्राम पीपल्या के साबिक खसरा नम्बर 98/14 में 5 बीघा भूमि का आंवटन कल्याण पुत्र चन्द्रा कुम्हार निवासी पीपल्या तत्कालीन तहसील सवाई माधोपुर के नाम हुआ है। तथा इसी नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुऐ है। जिससे स्पष्ट है कि कल्याण के पिता का नाम चन्द्रा है। इसलिए नामान्तरकरण जेरे बहस जो भरा गया है वह फर्जी तरीके से बल्दियत दर्ज कर भरा है जो निरस्त होने योग्य हैं।

❖ यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब नामान्तरकरण जेरे बहस संख्या 232 दिनांक 05.06.1972 को तस्दीक हुआ है। और उसमें कल्याण की बल्दियत माग्या दर्ज है तो दिनांक 21.10.1975 को हुऐ आंवटन आदेश में भी वल्दियत मांग्या ही दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन कल्याण ने फर्जी तरीके से अपने पिता का नाम मांग्या दर्ज करवाकर नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करवाया है जो निरस्त होने योग्य है।

❖ मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 232 के मांग्या चन्द्रा माधो पिसरान फत्ता के नाम 22 बीघा 18 बिस्वा ग्राम पीपल्या के राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी और अब पार्वती नगर पृथक राजस्व ग्राम घोषित होने के पश्चात उक्त भूमि के हाल खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 1552, 1553, 325, 334, 337 338, 342, 348, [illegible] 350, 351, 352, 353, 403, 404, 405,406, 419, 493, 494, 495 [illegible] कुल रकबा 5.06 है० व खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर [illegible] 476, 477, 478, 479, 496, 497, रकबा 0.74 है० वाके ग्राम पार्वती नगर बनाये गये।

❖ कल्याण पुत्र चन्द्रा के नाम दिनांक 21.10.1975 को हुऐ पांच बीघा भूनि के नवीन खसरा नम्बर 1501, 1502, 335, 336, 339 कुल किता 05 कुल रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०

9480 वाके ग्राम पार्वतीनगर बनाये गये है और चुकि कल्याण की मृत्यु हो चुकी है इसलिए रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 जो कि एक शातिर व्यक्ति है ने अपने ही नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाया है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 के ही नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन है।

- इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 03 नामान्तरकरण जेरे बहस के आधार पर एवं जाली तरीके से कल्याण के दो पिता होने का नाजायज लाभ उठाकर अपीलाटस को उनके हक से वंचित कर देना चाहते है इसलिए नामान्तरकरण जेरे बहस निरस्त होने योग्य है।
- अपीलांटस को नामान्तरकरण जेरे बहस की कोई जानकारी नहीं थी परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 03 द्वारा गलत एवं निराधार तरीके से अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 04 व 05 के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद पत्र उनवानी श्योजी बनाम लादू की तारीख पेशी दिनांक 04.11.2025 के समन प्राप्त हुऐ तब अपीलांटस ने नामान्तरकरण जेरे बहस की नकल हेतू दिनांक 03.11.2025 को आवेदन किया जो नकल उसी दिन दिनांक 03.11.2025 को प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 03 के पिता कल्याण के द्वारा किये गये इस फर्जीवाडे की पूर्ण जानंकारी होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है तथा दफा 5 लि० एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।
- अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 05.06.1972 तत्कालीन ग्राम पीपल्या हाल ग्राम पार्वती नगर तहसील चौथ का बरवाडा निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट नम्बर 01 के नाम हिस्सा 1/6 व अपीलांट नम्बर 02 लगायत 37 के नाम हिस्सा 1/6 तथा अपीलांट नम्बर 08 व 09 के नाम हिस्सा 1/6 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 03 के नाम हिस्सा 1/6 रेस्पोडेन्ट नम्बर 04 व 05 के नाम हिस्सा 1/6–1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम रेस्पोंडेंट्स जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब कियइं

3. रेस्पों0 संख्या 3, 4 व 6 बावजूद तामील बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इसके विरूद्ध दिनांक 19.01.2026 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

4. अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट्स वकील ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनों का दोहरान किया एवं वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 ने अपील में अंकित कथनों का विरोध किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

5. मैंने अपीलांट्स वकील एवं वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. अपीलांट वकील का कथन है कि नामान्तरकरण जेरे बहस संख्या 232 दिनांक 05.06.1972 को तस्दीक हुआ है। और उसमें कल्याण की बल्दियत माग्या दर्ज है तो दिनांक 21.10.1975 को हुऐ आंवटन आदेश में भी वल्दियत मांग्या ही दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन कल्याण ने फर्जी तरीके से अपने पिता का नाम मांग्या दर्ज करवाकर नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 [illegible]ायत 2 ने कथन किया है कि इस अपील से संबंधित वाद इसी न्यायालय में मु0 नं0 50/2024 उनवानी श्योजी वगै0 बनाम लादू वगै0 किस्म प्रकरण दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट का विचाराधीन है। साथ ही इस अपील के साथ अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का पेश किया है लेकिन उनके द्वारा अपील देरी से पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

7. नामान्तरकरण केवल एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिससे केवल यह तय किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति सरकार को लगान देगा, परन्तु स्वामित्व संबंधी अधिकारों के लिये किसी भी व्यक्ति को एक नियमित दावा पेश करना चाहिये। यहां यह उल्लेख भी किया जाना उचित होगा कि इस न्यायालय में मु0 नं0 50/2024 उनवानी श्योजी वगै0 बनाम लादू वगै0 किस्म प्रकरण दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट का विचाराधीन है। अतः मेरी विनम्र राय में इस हेतु इस अपील से खातेदारी अधिकार तय किया जाना उचित नहीं है। साथ ही अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का पेश किया है, जिसमें उनके द्वारा मु0 नं0 50/2024 उनवानी श्योजी वगै0 बनाम लादू वगै0 किस्म प्रकरण दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट के सम्मन प्राप्त होने पर यह अपील पेश करना अवगत कराया है। मेरे द्वारा दफा 05 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, जिसमें देरी का कारण बीमारी, वकील की गलती अथवा गलत कोर्ट में मामला चलना जैसे कारणों का उल्लेख करते हुए विलंब के लिये क्षमा किया जा सकता है। परन्तु अपीलांट्स ने देरी का कारण नामान्तरकरण से संबंधित मूल वाद के नोटिस प्राप्त होने पर अपील देरी से दायर करना अवगत कराया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत कारण युक्तियुक्त नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील एवं प्रार्थना पत्र दफा 05 अन्तर्गत लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

—:आदेश:—

अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है साथ ही अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 05 अन्तर्गत लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। निर्णय दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested